

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला

हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 402/2024

अनवान :-

1. रुकमादेवी पत्नी श्री सूरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नं0 14, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

-वादीया

बनाम

2. कानाराम पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नं0 14, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. रणवीर पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नं0 14, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. भंवरलाल पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नं0 14, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. नेतराम पुत्र श्री सूरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नं0 2, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
5. विमला देवी पत्नी श्री बन्ता सिंह पुत्री श्री सूरजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नं0 10, चक 14 डी. बी. एल. डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
6. श्रीमती उर्मिला पत्नी रोहिताश कुमार पुत्री स्व0 सरोज निवासी वार्ड नं0 4, ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
7. श्रीमती प्रमिला पत्नी नरेश कुमार पुत्री स्व0 सरोज निवासी वार्ड नं0 4, ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
8. कालूराम पुत्र जगदीश कुमार (माता का नाम स्व0 सरोज) निवासी केलनियां तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा


88, राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

डिक्री

दिनांक: 24.01.25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व वकील प्रतिवादी श्री सुनील शर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 चक नम्बर 5 जी. जी. आर. जमाबंदी सम्वत् 2075 - 78 खाता संख्या - 164/165 प0न0206/296 (16) किला न0 3/1/.228, 3/2/.025, 8, 13/.506, 18/1/.051, 19/2/.059, कुल तादादी 0.869 है0 आराजी का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर सुरजाराम का नाम कलमजन किए जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना

पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण)
उपसहायक अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी